दिनांक 21.09.2022 को क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, पटना प्रमण्डल, पटना द्वारा रेफरल अस्पताल, नौबतपूर एवं बिहटा जिला, पटना का प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान एवं परिवार नियोजन दिवस का पर्यवेक्षण किया गया।

रेफरल अस्पताल नौबतपूरः

- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत पूर्वाहन् 10:30 में रेफरल अस्पताल, नौबतपूर का निरीक्षण किया गया। रेफरल अस्पताल, नौबतपुर में General OPD में डॉ० सुबोध कुमार, Child Specialist एवं डॉ० पूनम सिंह, OBS & Gyne, चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा OPD में मरीज को देखा जा रहा था। अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रधानमंत्री सुरिक्षत मातृत्व अभियान में प्रसव पूर्व जाँच के संबंध में पूछे जाने पर डॉ० सुबोध कुमार द्वारा बताया गया कि अभी जेनरल मरीज को देखा जा रहा है तथा PMSMA के लिए गर्भवती महिला आ रही है।
- पर्यवेक्षण के समय अस्पताल प्रबंधक उपस्थित थी।
- संजीवनी रजिट्रेशन काउन्टर पर एक डाटा ऑपरेटर के द्वारा रजिस्ट्रेशन किया जा रहा था। जबकि तीन पुरूष, महिला एवं वरिष्ठ नागरिक हेतु रजिस्ट्रेशन कॉउन्टर बना हुआ था। इस संबंध में निदेशित किया गया की सभी रजिस्ट्रेशन काउन्टर पर ओ०पी०डी० समय अनुसार सभी संजीवनी डाटा ऑपरेटर उपस्थित रहे।
- ओ०पी०डी० रजिस्ट्रेशन कक्ष के बाहर किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन से संबंधित साईनेज नहीं लगा हुआ था।
- पूर्व से निर्धारित तिथि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान से संबंधित किसी भी प्रकार की तैयारी रेफरल अस्पताल, नौबतपुर में देखने को नहीं मिला। इस हेतु कोई भी कक्ष प्रसव पूर्व जाँच हेतु चिहिन्त नहीं किया गया था। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि ओ०पी०डी० कक्ष में खिड़की से गर्भवती महिला का ए०एन०सी० किया जा रहा था।
- विस्तारित प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के बारे में स्टॉफ नर्स एवं ANM से पूछे जाने पर संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया गया। इससे स्पष्ट होता है कि ePMSMA की जानकारी सभी स्वास्थ्य कर्मी को नहीं है। इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार पटना के पत्रांक सं0 226 दिनांक 13.04.2022 द्वारा ePMSMA दिशा–निर्देश को सभी स्वास्थ्य कर्मी, पदाधिकारी एवं आशा कार्यकर्ता को जानकारी तथा प्रचार–प्रसार किये जाने का निर्देश दिया गया।
- स्वास्थ्य संस्थान में चिकित्सा पदाधिकारी एवं पारामेडिकल स्टॉफ का रोस्टर डयुटी चार्ट नहीं लगा हुआ पाया गया ।
- अल्ट्रासाउण्ड कार्यरत अवस्था में पाया गया किन्तु अल्ट्रा साउण्ड की सेवा नहीं दी जा रही थी। अधोहस्ताक्षरी द्वारा सेवा दिये जाने हेतु निदेश दिया गया।
- स्वास्थ्य संस्थान में श्री कृष्ण कुमार प्रयोगशाला प्रवैधिकी द्वारा पैथोलॉजी की जॉच किया जा रहा था। Semi Auto Analyzer एवं CBC मशीन कार्यरत अवस्था में पाया गया तथा पर्यवेक्षण के समय 10 जाँच प्रयोगशाला जाँच किया गया था। प्रयोगशाला प्रवैधिकी के द्वारा अनुरोध किया गया की स्वास्थ्य संस्थान में मात्र एक मैं ही प्रयोगशाला प्रवैधिकी (LT) के पद पर कार्यरत हूँ, जिससे पैथोलॉजी जॉच करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। निदेशित किया गया कि मलेरिया, टी०बी० या अन्य कार्यक्रम में प्रयोगशाला प्रवैधिकी कार्यरत है, उन सभी से कार्य लिया जाए।
- स्वास्थ्य संस्थान में High Risk Pregnancy रजिस्टर नहीं पाया गया तथा कोई भी गर्भवती महिला जो जोखिम श्रेणी में है उन्हे ना तो फॉलो–अप किया जा रहा है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया की PMSMA

निर्धारित तिथि प्रत्येक माह के 9 एवं 21 तारीख को प्रसव पश्चात् जाँच/सेवायें गुणवत्तापूर्ण दिया जाए तथा जटिल गर्भावस्था वाली महिला को चिहिन्त कर उसे सभी आवश्यक स्वास्थ्य सेवा एवं सुरक्षित प्रसव की व्यवस्था कराया जाना सुनिश्चित किया जाए इस कार्य में किसी भी प्रकार का लापरवाही नहीं बर्ती जाए।

- मेडिसीन में Gentamicine, Tab. Methyldopa, Inj. Labetalol एवं Tab. Chloroquine उपलब्ध नहीं पाया गया।
- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में आयी गर्भवती माताओं हेतु अल्पहार की व्यवस्था नहीं पायी गई।

परिवार नियोजन दिवसः

- परिवार नियोजन दिवस की समीक्षा की गई, जिसमें श्रीमति कैसर जहाँ अख्तर, RMNCH+A, Counsellor बिना किसी सुचना के अनुपस्थित थी तथा स्वास्थ्य संस्थान में परिवार नियोजन दिवस का आयोजन भी नहीं किया गया था, जो काफी गम्भीर विषय है। इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, नौबतपुर को निदेश दिया गया की श्रीमति केसर जहाँ अख्तर, RMNCH+A, Counsellor का आज का दिन का मनादेय अवरूद्ध करते हुए उनका स्पष्टीकरण 2 दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के मंतव्य के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- परिवान नियोजन ऑपरेशन के बारे में बताया की अगस्त माह में 17 महिला बंध्याकरण तथा दो प्रसव उपरान्त बंध्याकरण एवं माह सितम्बर में पर्यवेक्षण के तिथि तक 09 महिला बंध्याकरण एवं 03 प्रसव उपरान्त बंध्याकरण किया गया था। परिवार नियोजन ऑपरेशन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, नौबतपुर द्वारा किया जाता है तथा यहाँ Anesthetic Doctor नहीं है।
- परिवार नियोजन दिवस हेतु किसी भी प्रकार का प्रचार–प्रसार एवं बैनर इत्यादि परिसर में नहीं लगा था।
- RMNCH+A, Counsellor अनुपस्थित रहने के कारण परिवार नियोजन दिवस एवं अन्य परिवार कल्याण कार्यक्रम की उपलब्धि की समीक्षा नहीं हो पाया।

प्रसव कक्षः

- प्रसव कक्ष के निरीक्षण के समय पाया गया कि तीन लेबर टेबुल लगे हैं तथा उनके बीच पर्दा नहीं पाया गया। लेबर टेबुल की साफ–सफाई संतोषप्रद नहीं पाया गया।
- प्रसव कक्ष में ए०सी० (AC) एवं समुचित लाईट की व्यवस्था नहीं पाई गई।
- प्रसव कक्ष के सभी खिड़कियों का शिशा टूटा हुआ था तथा बाहर से अन्दर की ओर जंगली पौधे खिड़कियों पर लगे पाये गए।
- अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रसव कक्ष में इमरजेन्सी दवा के बारे में पुछे जाने पर कोई दवा स्टॉफ नर्स द्वारा नहीं दिखाया गया। अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रसव कक्ष में की साफ–सफाई संतोषप्रद नहीं रहने के कारण संबंधित एजेन्सी को अनुपातिक कटौती की जाने का निदेश दिया गया।
- एन०बी०सी०सी० कक्ष में रेडियेन्ट वार्मर एवं फोटो थेरेपी मशीन कार्यरत अवस्था में पाया गया। पर्यवेक्षण के समय एक नवजात शिशु को फोटो थेरेपी की सेवा दी जा रही थी।

रेफरल अस्पताल बिहटाः

- अपराह्न 01:30 में रेफरल अस्पताल, बिहटा पहुँचा गया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अस्पताल प्रबंधक, प्रखण्ड सामुदायिक उत्प्रेरक एवं RMNCH +A, Counsellor उपस्थित थे। लेखापाल अनुपस्थित थे।
- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में कुल 6 गर्भवती माता का प्रसव पूर्व जाँच किया गया था। जो संख्या बहुत ही कम है।

- प्रसव पूर्व जाँच में पैथोलॉजी जॉच के संबंध में बताया गया की श्री प्रणय कुमार दिनांक 06.09.2022 से बिना सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण सभी पैथोलॉजी जाँच नहीं किया जा रहा है। अनुपस्थित तिथि का वेतन अगले स्पष्टिकरण मिलने तक अवरूद्ध किया जाता है तथा प्रभारी चिकित्सका पदाधिकारी, बिहटा को निदेश दिया गया कि इनका स्पष्टिकरण प्राप्त कर अपने मंतव्य के साथ अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध करायें। केवल पैथोलॉजी जाँच किट वाले Test ही स्वास्थ्य संस्थान में किया जा रहा है। Semi Auto Analyzer एवं CBC मशीन अकार्यरत अवस्था में पाया गया, जिसे अविलम्ब ठीक कराने हेतु निदेश दिया गया।
- गर्भवती माता को प्रसव पूर्व जाँच किये जाने हेतु स्वास्थ्य संस्थान में कोई भी कक्ष को चिहिन्त नहीं किया गया है। Ultra Sound मशीन कक्ष में ही गर्भवती महिलाओं का FHS एवं Ultra Sound किया जाता है।
- FHS हेतु प्रसव कक्ष का Doppler ही उपयोग अल्ट्रा साउन्ड कक्ष में किया जा रहा था। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया की प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान हेतु जाँच से संबंधित सभी समाग्री एवं मशीन की अलग व्यवस्था की जाए तथा गर्भवती माताओं को सभी आवश्यक स्वास्थ्य सेवाऐं/सूविधा उपलब्ध कराने में किसी भी प्रकार की कमी नहीं किया जाए।
- स्वास्थ्य संस्थान में PMSMA रजिस्टर में ही जटिल गर्भावस्था का स्टीकर लगा हुआ पाया गया,किन्तु जटिल गर्भावस्था वाली महिला रजिस्टर उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान रजिस्टर में ही HRP महिला को अंकित किया जा रहा था। जोखिम गर्भावस्था वाली महिला का फॉलो–अप नहीं किया जा रहा है और ना ही किसी स्तर से इसकी पर्यवेक्षण किया जा रहा है। जिसे अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को फॉलो–अप किये जाने हेतु निदेश दिया गया।
- गर्भवती माता के Height लेने हेतु Height Scale एवं Abdominal Height लेने हेतु Measuring tap उपलब्ध नहीं पाया गया।
- मेडिसीन में Tab. Methyldopa, Inj. Labetalol, Tab. Nifedipine एवं Tab. Chloroquine उपलब्ध नहीं पाया गया।
- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में आयी गर्भवती माताओं हेतु अल्पहार की व्यवस्था नहीं पायी गई।

परिवार नियोजन दिवसः

- परिवार नियोजन दिवस के पर्यवेक्षण के क्रम में पाया गया कि Ultra Sound मशीन कक्ष में ही RMNCH+A, Counsellor द्वारा Counselling किया जाता है। परिवार नियोजन परामर्श से संबंधित किसी भी प्रकार का पंजी उनके द्वारा नहीं दिखाया गया।
- RMNCH+A, Counsellor के पास किसी भी प्रकार का परिवार नियोजन हेतु अस्थायी साधन एवं स्थायी साधन से संबंधित Flip chart एवं Basket of choice kit भी उपलब्ध नहीं पाया गया ।
- परिवार नियोजन दिवस से संबंधित स्वास्थ्य संस्थान में किसी भी प्रकार का IEC प्रदर्शित नहीं पाया गया।
- प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा बताया गया की आज 04 परिवार कल्याण ऑपरेशन (महिला बंध्याकरण) है जिसे 01 प्रसव उपरांत बंध्याकरण है।
- प्रखण्ड सामुदायिक उत्प्रेरक द्वारा बताया गया की मिशन परिवान विकाश अभियान अन्तर्गत महिला बंध्याकरण हेतु जिला द्वारा 60 ELA दिया गया है। जिसमें 52 महिला बंध्याकरण आज की तिथि तक किया गया है। NSV हेतु 05 ELA दिया गया है जिसकी उपलब्धी शून्य है। इसके संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया की सभी आशा फैसिलिटेटर को एक–एक NSV करवाये जाने हेतु निदेश दें तथा सामुदायिक स्तर पर इसका प्रचार–प्रसार किया जाए।

342

- अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, बिहटा को निदेश दिया गया की सरकार द्वारा चलाये जा रहे सभी स्वास्थ्य कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी हेतु बैनर तथा जिस दिवसवार जो भी स्वास्थ्य कार्यक्रम आयोजित की जानी है। राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना द्वारा उपलब्ध कराये गये दिशा–निर्देश के अनुरूप अनुपालन किया जाना सुनिश्चित कराया जाए।
- अस्पताल प्रबंधक, बिहटा द्वारा बताया गया कि BMW का उठाव तीन दिनों से ऐजेंसी द्वारा नहीं दिया जा रहा है। इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा लिखित सूचना जिला स्वास्थ्य समिति, पटना एवं प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड को दिये जाने निदेश दिया गया।

27/9/22

क्षेत्रीय अपर निदेशक,
स्वास्थ्य सेवाऐं,
पटना प्रमण्डल, पटना

ज्ञापांकः RPMU/PAT/074/पटना/दिनांकः 27/09/2022

प्रतिलिपिः कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपिः प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना प्रमण्डल, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपिः जिला पदाधिकारी –सह– अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपिः सिविल सर्जन, जिला स्वास्थ्य समिति, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, मातृ स्वास्थ्य, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को आवश्यक सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, नौबतपुरा एवं बिहटा, जिला, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक अनुपालनार्थ।

27/9/22

क्षेत्रीय अपर निदेशक,
स्वास्थ्य सेवाऐं,
पटना प्रमण्डल, पटना